

परिशिष्ट:- 02

प्रति

1. कोई भी व्यक्ति/संक्रमित व्यक्ति/मेला अथवा त्यौहार आयोजित करने वाला व्यक्ति
2. संक्रमित स्थान/भवन/lodging हाउस/ के स्वामी/किरायदार/पड़ोसी आदि
3. प्राइवेट प्रैक्टिशनर/फैक्ट्री मनेजर/हॉस्टल मालिक/रहवासी सोसाइटी आदि

विषय:- मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949, की धारा 71 की उप धारा (2) एवं एपिडेमिक एक्ट, 1897 के अंतर्गत कारवाही के सम्बन्ध में |

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.03.2020 के द्वारा नोवल COVID-19 को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 की धारा 50 के अंतर्गत संक्रामक रोग एवं धारा 51 के अंतर्गत अधिसूचित संक्रामक रोग सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य हेतु अधिसूचित किया गया है | अधिनियम की धारा 71 की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रावधानित अधिकार समस्त जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त सिविल सर्जन तथा मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को प्रदत्त किये गये हैं | इसके अतिरिक्त धारा 3 की उप धारा 9 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को "एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी" निर्धारित किया गया है |

अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके को निम्नुसार आदेशित किया जाता है कि,|(परिशिष्ट अनुसार)

इस आदेश का तत्काल/.....दिवसों में पालन नहीं किया जाना मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 एवं एपिडेमिक एक्ट, 1897 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है एवं इसके तारतम्य में आपके के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी |

जारीकर्ता अधिकारी [#]

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश |
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश |
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल |
4. अतिरिक्त मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल |
5. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश |
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, सम्भागीय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश |

जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीक्षक एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक